राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)

क्रमांक :– प.5(16)ग्रावि / अनु.8 / सीईओमीटिंग / 2018   जयपुर, दिनांक :– - 7 JUL 2018

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
   जिला परिषद् (ग्राविप्र),समस्त।

2. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
   जिला परिषद्, समस्त।

विषयः– दिनांक 16–17 जुलाई, 2018 को कार्यशाला आयोजन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मा0 मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के निर्देशन में विभागीय समस्त योजनाओं की क्रियान्विति, समीक्षा एवं विचार विमर्श हेतु दिनांक 16–17 जुलाई 2018 को निम्नानुसार कार्यशाला आयोजित की जा रही हैः–

1. **दिनांक 16.7.2018–**   **समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी**
   समस्त अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
2. **दिनांक 17.7.2018–**   **समस्त मु0 का0 अधि0, अति0 मु0 कार्य0 अधि0**
   विकास अधिकारी समस्त पंचायत समिति।

स्थानः– इंदिरा गांधी पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर

समयः– प्रातः 10:00 बजे

- दिनांक 16.7.2018 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी / अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अपने जिले की प्रगति स्वयं प्रस्तुत करेगें। प्रगति अनुसार जिले के लक्ष्य अर्जन की समीक्षा होगी, जिसकी सोफ्ट प्रति (पीपीटी) दिनांक 12.7.2018 तक भिजवायें।
- दिनांक 17.7.2018 को अच्छे प्रगति वाले जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लक्ष्य अर्जन प्रकिया एवं कार्ययोजना के संबंध में अपने अनुभवों को अन्य जिलों के अधिकारियों को अवगत कराने हेतु प्रस्तुतीकरण देंगें, जिसकी सोफ्ट प्रति (पीपीटी) दिनांक 10.7.2018 तक भिजवायें।
- दिनांक 17.7.2018 को अच्छे प्रगति वाली एक पंचायत समिति, जिसमें योजनाओं की उत्कृष्ठ प्रगति रही है, विकास अधिकारी, पंचायत समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया जायेगा।

Dasktop/PA/Latter-5

- मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से आग्रह है कि अपने जिले की उत्कृष्ठ प्रगति वाली पंचायत समिति का नाम, विकास अधिकारी का विवरण एवं उनके द्वारा प्रस्तुतीकरण की सोफ्ट प्रति (पीपीटी) दिनांक 10.7.2018 तक भिजवायें।
- समस्त सोफ्ट प्रति (पीपीटी) तैयार कर ई–मेल आईडी pdme2k_rdd@yahoo.com पर अनिवार्य रूप से भिजवाने का कष्ट करें।
- कार्यशाला में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अति0मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं विकास अधिकारी व्यक्तिशः ही भाग लेगें। प्रमुख सचिव, ग्रा.वि.एवं पंराज की लिखित अनुमति के बिना कोई अधिकारी कार्यशाला से अनुपस्थित नहीं रहेगें। कार्यशाला में अन्य किसी अधिकारी/कार्मिक को साथ लाने की अनुमति नहीं होगी।

भवदीय,

07/07/18.

(हितबल्लभ शर्मा)
परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव
(मो. एवं मू.)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं.राज विभाग।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय ग्रा.वि. एवं पं.राज विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्रा.वि. एवं पं.राज विभाग।
4. निजी सचिव, स्टेट मिशन निदेशक, राजीविकास।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
6. निजी सचिव, आयुक्त, महानरेगा।
7. निजी सचिव, आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग।
8. जिला कलक्टर, समस्त।

07/07/18

परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव
(मो. एवं मू.)

Dasktop/PA/Latter-5